कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 5683 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जून 30, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– ओबरा–री बदायूँ ट्रान्समिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाईन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778हे0 आरक्षित व 0.101हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879हे0वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 39.536हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567 वृक्षों / पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1800 / 11–सी FP/Up/Trans/40906/2019 दिनांक 05.03.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में प्रभागवार उल्लिखित कमियों / अभिलेखों के निराकरण कर संशोधित एवं समेकित प्रस्ताव तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, मीरजापुर, तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा कमशः अपने कार्यालय के पत्रांक–3233 / 29–1 दिनांक 23.06.2020, 2553 / ओबरा / 15भू0ह0 दिनांक 21.03.2020, पत्रांक–3775 / मीरजापुर / 15 दिनांक 20.03.2020 एवं 3459 / कैमूर / 33–1 दिनांक 18.05.2020 (छायाप्रति संलग्न है।) द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार इस कार्यालय में प्रेषित किया हैः–

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1	**ओबरा वन प्रभागः–** प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।	वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
2	परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है जो कि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे तथा संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में भी सही करें।	परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑन लाईन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।

3	परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	परियोजना का वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
4	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑन लाइन भाग–2 के कमांक 5 में सही डाटा फीड किया गया है।
5	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	परियोजना से सम्बन्धित सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न है। ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
1	**वाराणसी वन प्रभागः–** भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0/एन0एच0ए0आई0/रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार नहीं है। अतः भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्तावक द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है जिसकी प्रति संलग्न है तथा ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
3	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
4	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है तथा प्रति प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
1	**जौनपुर वन प्रभागः–** प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जो कि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। चूंकि जौनपुर वन प्रभाग में 1हे0 से कम वनभूमि प्रभावित है। अतः इस प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 1हे0 में औषधीय पौधों के वक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	1हे0 वनभूमि पर औषधीय पौधो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
2	भू– स्वामित्व वाले विभाग (रेलवे एवं एन0एच0ए0आई0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	भू–स्वामित्व विभाग विभाग (एन0एच0ए0आई0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। तथा ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	परियोजना से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
5	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सही एन0पी0वी0 की दर से आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।

	प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	
1	**मीरजापुर वन प्रभागः—** प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।	प्रस्तावित आरक्षित वन- भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंज वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न है।
2	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न की गयी है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—76 पर संलग्न सूची में 367 वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जो कि गलत है।	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना वैज्ञानिक नाम सहित संशोधित गणना सूची संलग्नकर दी गयी है।
3	ऑनलाइन भाग—2 के कमांक—5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑन लाइन भाग—2 के कमांक 5 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
4	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण में सही एन0पी0वी0 की दर से आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
1	**कैमूर वन्यजीव प्रभागः—** प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण में सही एन0पी0वी0 की दर से आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है जो कि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे तथा संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग—2 व हार्ड कापी भाग—2 में भी सही करें।	परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन कर ऑनलाइन कर दिया गया है। विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।
4	प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन 12.033हे0 पर ही प्रस्तावित है, जबकि प्रभाग में 39.536हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए संशोधित बौने (औषधीय) पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑन लाइन अपलोड करें।	प्रस्तावित 39.536हे0 वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है तथा ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है।

K

— 4 —

5	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–5 के ''प्रस्तावित वन भूमि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के अन्तर्गत आता है।''
6	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर दी गयी है।

अतः वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, मीरजापुर, तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एवं संशोधित समेकित प्रस्ताव तीन प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 5683 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपिः वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, मीरजापुर, तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 29.06.2020
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर